भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2308
(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 मार्च, 2023/30 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाना है)

उपकर और अधिभार से संग्रहित निधि

2308. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकरों और अधिभारों के अंतर्गत संग्रहित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
ख) विगत पांच वर्षों में ऐसे उपकरों के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार लगाए गए उपकर का उपयोग केवल उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लगाए गए विभिन्न उपकरों का उपयोग उनके घोषित प्रयोजनार्थ किया जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

क) पिछले पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकरों और अधिभारों के अंतर्गत एकत्रित निधि का ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया गया है;
ख) पिछले पांच वर्षों में ऐसे उपकरों के वर्ष-वार उपयोग का ब्यौरा अनुबंध 'ख' में दिया गया है;
ग) और (घ) विभिन्न उपकरों और अधिभारों की आय का उपयोग/ आरक्षित निधियों में अंतरण उपयुक्त अधिनियम(मों) के समर्थकारी प्रावधानों या कार्यकारी निर्णय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभिशासित होता है। आरक्षित निधियों में अंतरण और विहित प्रयोजनार्थ वास्तविक व्यय दोनों ही संसद द्वारा अनुमोदित देय विनियोगों के बाद किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जीएसटी मुआवजा उपकर के मामले में, लगाए गए उपकर की आय शुरू में भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है, और जीएसटी मुआवजा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार भारत के सार्वजनिक खाते में बनाए गए जीएसटी मुआवजा निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2022-23 में ₹ 1,15,650 करोड़ के संग्रह (फरवरी 2022 तक) के बावजूद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ₹1,49,168 की कुल राशि जारी की गई। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए ₹ 1.1 लाख करोड़ और ₹ 1.59 लाख करोड़ की राशि उधार लेने का निर्णय लिया और इस राशि को राज्यों के संसाधनों को मजबूत करने के लिए बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्यों को अन्तरित किया।
ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपकर/अधिभार की वसूली दर्शाने वाला विवरण						अनुबंध - क	
							(₹ करोड़)
क्र. सं.	**लेवी का नाम**	**वास्तविक 2018-19**	**वास्तविक 2019-20**	**वास्तविक 2020-21**	**वास्तविक 2021-22**	**संशोधित 2022-23**	**बजट 2023-24**
	निगम कर के तहत अधिभार	25448.59	19053.92	14078.57	15890.31	80288.46	88718.75
	आय पर कर के तहत अधिभार	4291.69	5236.92	5537.78	7922.88	75961.53	83937.50
	सीमा शुल्क के तहत समाज कल्याण अधिभार	8871.19	8796.12	13447.39	16945.06	17000.00	19500.00
	कुल अधिभार (1 से 3)	**38611.47**	**33086.96**	**33063.74**	**40758.25**	**173249.99**	**192156.25**
उपकर							
क.	**जीएसटी मुआवजा उपकर**	95080.71	95553.09	85191.91	104768.66	130000.00	145000.00
ख.	**अन्य उपकर (जीएसटी मुआवजा उपकर को छोड़कर)**						
1	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	41177.44	39131.10	35821.55	52732.33	62500.01	69062.50
2	कृषि कल्याण उपकर	168.89	40.13	10.61	7.24	0.00	0.00
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिकारी शुल्क	1797.80	2380.40	5098.81	7074.87	8000.00	8780.00
4	प्राथमिक शिक्षा उपकर	97.40	81.48	61.85	15.44	0.00	0.00
5	माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर	34.24	27.97	11.42	2.50	0.00	0.00
6	स्वास्थ्य उपकर	0.00	0.00	-13.52	31.02	20.00	20.00
7	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0.00	0.00	0.00	76950.68	73500.00	79400.00
8	निर्यात पर उपकर	1690.23	5759.14	9214.64	1457.10	2100.00	1500.00
9	सड़क और अवसंरचना उपकर*	110847.16	122424.32	235782.55	195986.96	58200.00	45110.00
10	अवसंरचना उपकर	6.36	0.94	-0.07	0.00	0.00	0.00
11	कच्चे तेल पर उपकर	17814.23	14062.49	10894.44	19353.84	21000.00	20540.00
12	बीड़ी पर उपकर	-0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
13	चीनी पर उपकर	13.40	3.50	0.35	0.02	0.00	0.00
14	ऑटोमोबाइल्स पर उपकर	0.08	1.08	0.00	0.01	0.00	0.00
15	अन्य	-21.52	14.98	0.03	-0.16	0.00	0.00
16	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	4.88	24.56	0.01	23.86	0.00	0.00
17	जूट पर उपकर	0.16	2.18	0.06	0.04	0.00	0.00

18	तंबाकू पर उपकर	0.07	0.03	0.01	0.07	0.00	0.00
19	नमक पर उपकर	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00
20	स्वच्छ भारत उपकर	216.40	46.63	17.34	9.63	0.00	0.00
21	जल उपकर	6.76	11.16	6.82	2.78	0.00	0.00
22	आर एंड डी उपकर	45.34	14.68	16.77	16.42	0.00	0.00
23	अन्य उपकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	**अन्य उपकर (जीएसटी मुआवजा उपकर को छोड़कर)**	**173899.29**	**184026.79**	**296923.67**	**353664.46**	**225320.01**	**224412.50**
ग	**जीएसटी मुआवजा उपकर सहित कुल उपकर (क+ख)**	**268980.00**	**279579.88**	**382115.58**	**458433.12**	**355320.01**	**369412.50**
	** पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और अवसंरचना उपकर' की शुरुआत से पहले 'सड़क उपकर' के रूप में जाना जाता था।*						

अनुबंध - ख

उपकर आय का उपयोग (आरक्षित निधि में अंतरित)

(*₹ करोड़*)

क्र. सं.	निधि का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1	प्रारंभिक शिक्षा कोष	25227.90	26848.35	30168.34	31788.25	38000.00	30000.00
2	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष*	…	14460.25	20561.27	25000.00	24350.00	12000.00
3	जीएसटी मुआवजा कोष	54275.00	153910.29	106317.00	110795.47	130000.00	145000.00
4	केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	62879.64	90252.40	182363.47	251738.18	208743.00	64020.00
5	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि	2500.00	2480.00	5820.00	6134.60	8000.00	8780.00
6	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि*			20000.00	21498.72	20542.37	14589.00
	कुल जोड़	**144882.54**	**287951.29**	**365230.08**	**446955.22**	**429635.37**	**274389.00**
	** सार्वजनिक खातों में आरक्षित निधियों के चालू वित्त वर्ष से परिचालन में आने की उम्मीद है। प्रत्येक वर्ष संशोधित अनुमानों में किए गए आवंटन दर्शाए गए हैं*						